



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 202

दि. 26.04.2026,

रविवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल की सियासत में तेज़ हुआ चुनावी संग्राम, शाह के निशाने पर ममता सरकार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गरमा चुका है और इसी कड़ी में अमित शाह ने पूर्व वर्धमान के जमालपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अपने भाषण में शाह ने न केवल आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया, बल्कि यह भी कहा कि पहले चरण के मतदान में ही भाजपा 110 सीटें जीतकर सत्ता की दिशा तय कर देगी और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है और चुनावी मुकामबले को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदलने लगी है और सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ है। उन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि शाह के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा

महिलाओं को शाह के बाद घर से बाहर न निकलने की सलाह देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपने कर्तव्यों में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को इस स्तर तक सुधारा जाएगा कि महिलाएं और बच्चियां रात में भी बिना किसी डर के बाहर निकल सकेंगी। अपने भाषण में शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि ममता सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है, जिससे विशेष रूप से मनुआ समुदाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो सभी पात्र लोगों को नागरिकता देने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने मनुआ समाज से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अब डर में जीने की आवश्यकता नहीं है और भाजपा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने चुनावी प्रक्रिया दैनिक प्रथम आलो और मतदाताओं को उराने-धक्काने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने



की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस तरह की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और चुनाव के बाद उनके खिलाफ

सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने अपने भाषण में राज्य में कथित दैनिक प्रथम आलो और मतदाताओं को उराने-धक्काने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने



व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और आम जनता को परेशान कर रही है। शाह सिंडिकेट राज का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बंगाल में निर्माण कार्य से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक में लोगों को सिंडिकेट को पैसा देना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह

सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने अपने भाषण में राज्य में कथित दैनिक प्रथम आलो और मतदाताओं को उराने-धक्काने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदान के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने

को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपीटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें विन्धित कर बाहर निकाला जाएगा। सभा में अमित शाह ने भाजपा की ओर से कई जनकल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना भी लागू की जाएगी। किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति किंटल करने का वादा किया गया, जिससे उन्हें बेहतर आय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को हर महीने 2000 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने कई घोषणाएं कीं और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा और महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया गया। शाह ने कहा कि इन

योजनाओं के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। अपने भाषण के अंत में अमित शाह ने धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का भी उल्लेख किया और कहा कि देश में लंबे समय के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बना है, जो देश की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस तरह की किसी भी गतिविधि को सफल नहीं होने देगी। पूर्व वर्धमान की इस रैली ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और सामाजिक मुद्दों पर भी केंद्रित हो चुका है। एक ओर जहां भाजपा बदलाव और विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने कामकाज और जनधार के दम पर चुनावी मुकामबले में बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित होगा।

ढाका में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, संभावित हमलों की आशंका से देशभर में चौकसी तेज

दक्षिण एशिया के संवेदनशील सुरक्षा परिदृश्य के बीच बांग्लादेश में संभावित आतंकवादी खतरों को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। राजधानी ढाका समेत प्रमुख सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के बाद संसद परिसर, धार्मिक स्थलों, सैन्य प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। यह कदम खुफिया एजेंसियों से मिली गंभीर जानकारी के आधार पर उठाया गया है, जिसने पूरे प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अलर्ट "अत्यावश्यक" और "गोपनीय" श्रेणी में रखा गया है, जो इस बात का संकेत है कि संभावित खतरों को हलके में नहीं लिया जा रहा। रिपोर्टों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि देश के भीतर कुछ समूह समन्वित हमलों की योजना बना रहे हैं, जिनका निशाना एक साथ कई महत्वपूर्ण स्थान हो सकते हैं। इन संभावित लक्ष्यों में संसद भवन, इबादत स्थल, मनोरंजन केंद्र, सैन्य और पुलिस प्रतिष्ठान शामिल हैं। विशेष रूप से शाखागारों को भी

संभावित टारगेट के रूप में चिह्नित किया गया है, जिससे यह आशंका और गहरी हो जाती है कि हमलावर हथियारों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया, विशेषकर बांग्ला दैनिक प्रथम आलो और डेली स्टार की रिपोर्टों के अनुसार, यह अलर्ट हाल ही में एक संदिग्ध आतंकी सदस्य की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इस्त्रियाक अहमद सामी उर्फ अबू बक्र के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके संपर्क दो बर्खास्त सैन्य कर्मियों से थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। इस मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि इसमें सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। यदि यह सत्य साबित होता है, तो यह केवल एक आतंकी साजिश नहीं, बल्कि सुरक्षा ढांचे के भीतर संघ लगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस कड़े अलर्ट पर तैयारी और मजबूत हैं और संभावित कड़ी को जोड़ने का

प्रयास कर रही हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में संभावित हमलों के पीछे दो प्रमुख षड्यंत्रकारियों के नाम भी बताए गए हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्हें दैनिक प्रथम आलो और डेली स्टार की रिपोर्टों के अनुसार, यह अलर्ट हाल ही में एक संदिग्ध आतंकी सदस्य की गिरफ्तारी के बाद जारी किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इस्त्रियाक अहमद सामी उर्फ अबू बक्र के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके संपर्क दो बर्खास्त सैन्य कर्मियों से थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। इस मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि इसमें सैन्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। यदि यह सत्य साबित होता है, तो यह केवल एक आतंकी साजिश नहीं, बल्कि सुरक्षा ढांचे के भीतर संघ लगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस कड़े अलर्ट पर तैयारी और मजबूत हैं और संभावित कड़ी को जोड़ने का

में यह जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां केवल लक्ष्य खतरों को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे तंत्र को भी उजागर करें। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को भी आवश्यकता हो सकती है। बांग्लादेश सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे न केवल इस संभावित खतरों को टालें, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी बनाए रखें। ऐसे समय में अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे अनावश्यक भय का माहौल बन सकता है। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, लेकिन घबरारें नहीं, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर के सभी पुलिस स्टेशनों, अर्धसैनिक बलों और अन्य संबंधित इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सतर्कता बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। प्रमुख शहरों में चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी सुरक्षा जांच को और कड़ा किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के समन्वित हमलों को योजना आमतौर पर लंबे समय की तैयारी और मजबूत नेटवर्क के बिना संभव नहीं होती। ऐसे

योगेश गौड़ा हत्याकांड में नया मोड़, उम्रकैद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विधायक विनय कुलकर्णी

कर्नाटक की राजनीति को लंबे समय से झकझोर रहे बहुचर्चित हत्याकांड में अब एक नया कानूनी अड्डा शुरू हो गया है। भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया है। इस कदम के साथ ही यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। बंगलूरु की विशेष अदालत द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में विनय कुलकर्णी समेत कुल 17 लोगों को इस जघन्य हत्या का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को कांग्रेस विधायक ने अब कानूनी तौर पर चुनौती दी है और उच्च न्यायालय से राहत की उम्मीद जताई है, जो उनकी अपील के बाद अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। इस घटनाक्रम के समन्वित धारवाड़ में राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। विनय कुलकर्णी के समर्थन में उनके सैकड़ों




समर्थक सड़कों पर उतर आए और मौन मार्च निकालकर इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके नेता को साजिश के तहत फंसाया गया है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें इन आरोपों और दावों की सत्यता को लेकर अदालत में लंबी सुनवाई चली और अंततः विशेष अदालत ने सभी सक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि का फैसला सुनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस केस में विस्तृत जांच की और कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए, जिनके आधार पर अदालत में आरोप सिद्ध किए गए। विनय कुलकर्णी को इस मामले में आरोपी नंबर 15 बनाया गया था। जब उन पर आरोप

हमला इतना अचानक और निरमम था कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। उस समय यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी, बल्कि इसके पीछे संभावित राजनीतिक कारणों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई थीं। जांच के दौरान यह सामने आया कि योगेश गौड़ा स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी संकेत मिले कि उन्होंने राजनीतिक रूप से विनय कुलकर्णी को चुनौती दी थी, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि, न्याय मिलने की उम्मीद है। यह विरोध प्रदर्शन केवल समर्थन का प्रतीक नहीं, बल्कि उस राजनीतिक धुंधलका को भी दर्शाता है, जो इस मामले के इर्द-गिर्द बना हुआ है। यह पूरा मामला 15 जून 2016 को उस दर्दनाक घटना से जुड़ा है, जब धारवाड़ के एक जम में घुसपैट हथियारबंद हमलावरों ने योगेश गौड़ा पर हमला कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने धारदार हथियारों से उन पर कई बार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह

लगे, उस समय वे राज्य सरकार में मंत्री थे और जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे थे, जिससे इस केस की राजनीतिक संवेदनशीलता और बढ़ गई थी। अब जब मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, तो कानूनी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। कुलकर्णी की ओर से यह तर्क दिए जाने की संभावना है कि निचली अदालत के फैसले में कई कानूनी और तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि सजा पूरी तरह से उचित और साक्ष्यों पर आधारित है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबी चल सकती है, क्योंकि इसमें कई आरोपी, जटिल साक्ष्य और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। इस दौरान अदालत सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। यह मामला केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि उस व्यापक सवाल का भी प्रतीक बन चुका है कि क्या राजनीति और अपराध के बीच की दूरी पर्याप्त रूप से बनी हुई है या नहीं। जब किसी जनप्रतिनिधि का नाम इस तरह के गंभीर आरोपों में आता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है।

सियासी हलचल के बीच आप का बड़ा दांव, राज्यसभा के सभापति से बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग

नई दिल्ली की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब आम आदमी पार्टी ने अपने सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के फैसले को खुली चुनौती दे दी। पार्टी ने इसे न केवल राजनीतिक धोखा करार दिया, बल्कि इसे संविधान और कानून के खिलाफ बताते हुए अब कानूनी लड़ाई का रास्ता अपनाने का संकेत भी दिया है। इसी क्रम में आप ने निर्णय लिया है कि वह राज्यसभा के सभापति को औपचारिक पत्र लिखकर इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने शनिवार को मीडिया के सामने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के सात सांसदों द्वारा लिया गया यह कदम न केवल अनैतिक है, बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। उनके अनुसार, यह मामला केवल पार्टी के भीतर की असहमति का नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश का भी अपमान है। संजय सिंह ने कहा कि जनता ने जिन सांसदों को एक विशेष विचारधारा और पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना था, उनका इस तरह अचानक दल बदल लेना जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। इस पूरे विवाद के केंद्र में दल-बदल विरोधी कानून है, जिसे संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संजय सिंह ने इस कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी प्रकार के विभाजन या



गुट को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, चाहे उसमें दो-तिहाई बहुमत ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि कई बार राजनीतिक दल इस कानून की व्याख्या अपने हित में करने की कोशिश करते हैं और "अवैधानिक" कहकर कहते हैं कि निर्विधायित्व बिना उचित प्रक्रिया के पार्टी नहीं बदल सकते। आप नेता ने जोर देकर कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा या लोकसभा के भीतर किसी समूह या गुट को अलग पहचान दी जा सके। उनके अनुसार, यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है और किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो उसे स्वतः ही अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। इसी आधार पर आप ने यह मांग उठाई है कि इन सातों सांसदों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। संजय सिंह ने भाजपा पर भी तीखा

हमला बोला और आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर असर पड़ रहा है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आप ने इन सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के कदम को "अवैधानिक" और "अवैध" बताया है और कहा कि यह केवल पार्टी के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह संविधान की भावना के भी खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि यदि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में यह एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है, जहां निर्विधायित्व बिना किसी जवाबदेही के दल बदल सकते हैं। राज्यसभा के सभापति को लिखे जाने वाले पत्र में आप इन सभी कानूनी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत करेगी और यह आग्रह करेगी कि मामले को गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। यह भी माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई

लंबी चल सकती है और अंततः यह मामला न्यायालय तक भी पहुंच सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल सात सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में दल-बदल की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और संसद में दल-बदल की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या मौजूदा कानून इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राजनीति में स्थिरता और नैतिकता के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। जब निर्विधायित्व प्रतिक्रिया आपने दल को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो इसका असर केवल राजनीतिक समीकरणों पर ही नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कानून का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त न किया जाए। अब सभी की नजर राज्यसभा के सभापति के निर्णय पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और क्या आप की मांगों को स्वीकार करते हुए इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं। जो भी फैसला होगा, उसका असर न केवल इस मामले पर पड़ेगा, बल्कि भविष्य में होने वाले ऐसे मामलों के लिए भी एक मिसाल बनेगा।



नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

नीमराना में आग का कहर: कबाड़ गोदाम में जिंदा जले चार लोग, सुरक्षा इंतजामों पर उठे बड़े सवाल

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में शुक्रवार शाम एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के इस क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में दो नाबालिग युवतियां भी शामिल हैं, जो आग की चपेट में आकर जिंदा जल गईं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोदाम में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण लपटें कुछ ही मिनटों में आसमान छूने लगीं और घना धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमकल विभाग को इसे काबू में करने में करीब दो घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण गोदाम में परफ्यूम की शीशियों तोड़ने के दौरान बीड़ी जलाना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां मौजूद ज्वलनशील केमिकल्स ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे विस्फोट जैसी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसके लिए फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा लापरवाही का परिणाम था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी जिम्मेदार है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर अपना गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, डीएसपी चारुल गुप्ता और भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चार लोगों की जान जा चुकी थी।



पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें सात वर्षीय आरुषि, किशोरी कविता (करीब 16-18

वर्ष), पिकअप चालक जोनी और रविदत्त शामिल हैं। इन चारों की मौत ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। आरुषि के पिता

संताराम ने बताया कि उनकी बेटी केवल खाना देने के लिए गोदाम गई थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह इस भयावह आग की चपेट में आ गई।

वहीं कविता के परिजनों के अनुसार, वह गोदाम में काम करती थी और रोज की तरह उस दिन भी अपने काम पर मौजूद थी। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। आग की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपये का कबाड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसके अलावा वहां खड़ा एक पिकअप वाहन भी आग की भेंट चढ़ गया। आग की ऊंची लपटों और घने धुएं के कारण आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया, ताकि किसी और जानमाल का नुकसान न हो। घटना के बाद पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर

पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी जांच की जा रही है कि गोदाम में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, और क्या वहां ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखा गया था। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के पास इस तरह के कबाड़ गोदाम चलाना बेहद खतरनाक है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गोदामों को आवादी से दूर स्थानांतरित किया जाए और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि यदि पहले ही उचित कदम उठाए गए होते, तो शायद यह हादसा टल सकता था। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। यह सवाल उठती है कि औद्योगिक क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना सख्ती

से किया जा रहा है। क्या प्रशासन नियमित निरीक्षण करता है? क्या गोदाम मालिक नियमों का पालन करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है? नीमराना की यह दर्दनाक घटना इन सभी सवालों को सामने लाती है और यह संकेत देती है कि अब केवल जांच और कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। जब तक सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा और लापरवाही पर कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। फिलहाल, प्रशासन जांच में जुटा है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, उनके लिए यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। यह हादसा एक ऐसी त्रासदी बन गया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और यह याद दिलाता है कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है।

सूरत में चुनावी तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचीं EVM मशीनें

गुजरात के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने जिस स्तर की व्यापक और बहुस्तरीय तैयारियों की हैं, उसने पूरे चुनावी माहौल को व्यवस्थित और नियंत्रित बना दिया है। शनिवार को जिले के सभी रिसींगिंग और डिस्पेंसिंग सेंटर्स से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य आवश्यक पुरा कर लिया गया। यह प्रक्रिया केवल एक औपचारिक वितरण नहीं थी, बल्कि इसमें सूक्ष्म योजना, सख्त निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

डॉ. सोरभ पारधी के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सुबह से ही सभी डिस्पेंसिंग सेंटर्स पर हलचल शुरू हो गई थी, जहां पोलिंग स्टॉफ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार निर्धारित समय पर पहुंचने लगे। प्रत्येक पोलिंग टीम को उनके निर्धारित मतदान केंद्र के अनुसार EVM मशीनें, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीबीपैट (जहां लापू हो), मतदाता सूची, स्याही, आवश्यक फॉर्म, सीलिंग सामग्री और अन्य जरूरी उपकरण सौंपे गए। इस दौरान हर एक सामग्री की कई स्तरों पर जांच की गई, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति अपनाई। प्रत्येक सेंटर पर



वरिष्ठ अधिकारियों को तैनाती की गई, जो वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। EVM मशीनों की सीलिंग, उनकी यूनिट आईडी का मिलान, पोलिंग स्टेशन के अनुसार टैगिंग और सुरक्षित पैकिंग जैसे हर चरण को रिकॉर्ड किया गया।

इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को खत्म किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार विशेष सतर्कता बरती गई। EVM मशीनों और

अन्य संवेदनशील सामग्री के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार वाहनों का उपयोग किया गया, जिनके साथ सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहा। हर वाहन को निर्धारित रूट के अनुसार ही भेजा गया और उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी गई। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकना जा सके। डिस्पेंसिंग सेंटर्स के बाहर और अंदर सख्त चेकिंग व्यवस्था लागू की गई थी, जहां बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पोलिंग अधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को इस दौरान अंतिम दिशा-निर्देश भी दिए गए। उन्हें विस्तार से बताया गया कि मतदान के दिन किस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना है, EVM मशीनों को किस तरह से संचालित करना

है और यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करना है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करें और नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया। सभी पोलिंग टीमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सामग्री सौंप दी गई और वे समय पर अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। अधिकांश टीमों ने शाम तक अपने केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर लिया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मतदान के दिन कोई असुविधा न हो। जिला चुनाव प्रशासन ने मतदाताओं

के लिए भी विशेष अपील जारी की है। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन का मानना है कि जितनी अधिक मतदान प्रतिशत होगा, उतनी ही मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी। इस बार के चुनाव में तकनीकी और प्रबंधन के स्तर पर कई नए प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट-टाइम रिकॉर्डिंग और त्वरित संचार व्यवस्था के जरिए चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान भी संभव हो सकेगा। कुल मिलाकर, सूरत में चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, वे यह दर्शाती

हैं कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही के मूड में नहीं है। सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्थापक के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब सभी की नजर मतदान दिवस पर टिकी है, जहां यह पूरी चुनावी मशीनी अपनी असली परीक्षा देगी। यदि यह प्रक्रिया इसी तरह सुचारु रूप से आगे बढ़ती है, तो सूरत का यह चुनाव एक आदर्श मॉडल के रूप में सामने आ सकता है, जहां प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी उपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों का संतुलित समन्वय देखने को मिलेगा। यह न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है कि किस तरह व्यापक योजना और कड़े अमल के जरिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।

झांसी में दिल दहला देने वाली घटना: पिता ने मासूम बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी की, जांच में पारिवारिक कलह की आशंका

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और समाज को गहरे सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। रक्षक थाना क्षेत्र के डीमरगुा गांव में शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति ने अपने ही तीन वर्षीय मासूम बेटे की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल एक परिवार के टूटने की त्रासदी है, बल्कि यह उन मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दबावों की ओर भी संकेत करती है, जो कभी-कभी बेहद खतरनाक रूप ले लेते हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान प्रेम सिंह (उम्र लगभग 30-35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। घटना देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे। इसी दौरान कमरे के भीतर कुछ असामान्य हलचल का आभास होने पर उसकी पत्नी ने अंदर झांककर देखा तो वह सन्नाह रह गई। कमरे के भीतर उसका पति फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि उसने तुरंत आसपास के लोगों को आवाज दी और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और

स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। एक ओर प्रेम सिंह का शव फंदे से लटका हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसका तीन वर्षीय मासूम बेटा जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था। बच्चे के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या की गई है। क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आशंका सामने आई है कि आरोपी पिता ने पहले अपने बेटे की हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि, घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने 3 बजे की बताई जा रही है। उस समय घर के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे। इसी दौरान कमरे के भीतर कुछ असामान्य हलचल का आभास होने पर उसकी पत्नी ने अंदर झांककर देखा तो वह सन्नाह रह गई। कमरे के भीतर उसका पति फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य इतना भयावह था कि उसने तुरंत आसपास के लोगों को आवाज दी और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और

नहीं है कि वही इस घटना की वजह बनी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था। पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से रक्त के नमूने, हथियार और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि घटना किस क्रम में हुई और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थीं। जांच अधिकारी इस मामले को कई कोणों से देख रहे हैं। इसमें पारिवारिक कलह, आशंकाएं, तनाव, आर्थिक दबाव और व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। पुलिस का मानना है कि इन सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद ही इस घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं थले ही दुर्लभ हों, लेकिन वे समाज के लिए एक चेतावनी होती हैं। यह दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और सामाजिक सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। जब व्यक्ति तनाव, अवसाद या दबाव में होता है और उसे सही समय पर सहायता नहीं मिलती, तो वह ऐसे चरम कदम उठा सकता है, जिसके परिणाम बेहद दुखद होते हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल, परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक त्रासदी है, जो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को समझ पा रहे हैं। एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया—यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो समाज को संवेदनशील और जागरूक वजह सामने आ सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं थले ही दुर्लभ हों, लेकिन वे समाज के लिए एक चेतावनी होती हैं। यह दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संवाद और सामाजिक सहयोग कितने महत्वपूर्ण हैं। जब व्यक्ति तनाव, अवसाद या दबाव में होता है और उसे सही समय पर सहायता नहीं मिलती, तो वह ऐसे चरम कदम उठा सकता है, जिसके परिणाम बेहद दुखद होते हैं।

उत्तराखंड में अतिक्रमण पर सख्ती: रेलवे भूमि से हटाई गई अवैध मजार, 582 ढांचों पर चल चुका बुलडोजर

उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले में किच्छा-पंतनगर मार्ग पर स्थित रेलवे भूमि से एक अवैध मजार को तड़के ध्वस्त कर हटा दिया गया। जिला प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई ने राज्य में जारी व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के साथ ही पूरे राज्य में अब तक कुल 582 अवैध संरचनाओं को हटाया जा चुका है, जो इस अभियान के बड़े पैमाने और सख्त रुख को दर्शाता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया रही है। संबंधित स्थल पर अतिक्रमण की लेबर पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इज्जतनगर रेलवे मंडल की ओर से 26 मई 2023 और 18 सितंबर 2025 को संबंधित पक्षों को भूमि स्वामित्व के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।



25 अप्रैल 2026 को रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन से सुरक्षा बल की मांग की, ताकि ध्वंस्तकरण के दौरान किसी प्रकार की बाधा या कानून-व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो। इसके बाद एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के कर्मचारी शामिल थे। तड़के सुबह की गई इस कार्रवाई में दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मजार को हटा दिया गया। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वंस्तकरण के दौरान पूरी सावधानी बरती गई और यह सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार की धार्मिक भावना आहत न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट

किया कि प्रारंभिक जांच में उस संरचना के नीचे किसी प्रकार के ऐतिहासिक या धार्मिक अवशेष नहीं पाए गए। यह भी सामने आया कि यह अतिक्रमण की प्रस्तावित विस्तार योजना और नरेली-नैनीताल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिससे सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी हो रही थी। इस पूरे अभियान को राज्य सरकार की उस नीति के तहत देखा जा रहा है, जिसमें सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि परिवहन, सड़क निर्माण और रेलवे विस्तार जैसी परियोजनाएं तभी समय पर पूरी हो सकती हैं, जब उनके रास्ते में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाए। यही कारण है कि प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाशत न करने की नीति पर काम कर रहा है। राज्य स्तर पर अब तक 582 अवैध संरचनाओं को चिह्नित कर हटाया जा चुका है। इनमें सड़क किनारे बने अवैध ढांचे,

सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इमारतें और अन्य अतिक्रमण शामिल हैं। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर चलाया जा रहा है और हर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है। हालांकि, इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे विकास के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए अधिक सावधानी बरतने की बात करते हैं। लेकिन प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही आसपास के लोगों को सूचना दे दी थी, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयों और तेज हो सकती हैं।

अलथान में छेड़छाड़ के बाद भड़का जनाक्रोश, सूरत में देर रात तक तनाव, आरोपी पुलिस हिरासत में

गुजरात के व्यस्त और तेजी से विकसित हो रहे शहर सूरत के अलथान इलाके में शुक्रवार रात घंटी एक घटना ने पूरे क्षेत्र का माहौल अचानक तनावपूर्ण बना दिया। एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों तक पहुंची, गुस्से और आक्रोश का माहौल बन गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी को पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को अपने कब्जे में लिया, लेकिन तब तक हालात काफी विहाड़ चुके थे।

दौरान एक व्यक्ति ने उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान गया और उन्होंने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसे पुलिस के हवाले करने से पहले ही पीटना शुरू कर दिया। आरोपी की पहचान शेख मोहम्मद अजीज इमिनथाज के रूप में हुई है, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। घटना की खबर तेजी से फैलते ही आसपास के इलाकों—वराछा, कतारगाम, कापोद्रा और सरथाना—से बड़ी संख्या में लोग अलथान पुलिस स्टेशन की ओर पहुंचने लगे। कुछ ही समय में थाने के बाहर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जो



बाद में हजारों में बदल गई। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और आरोपी

के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करना पुलिस के लिए

चुनौती बन गया। रातभर पुलिस बल को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने उसे पुलिस के हवाले करने के लिए लेबर पहुंची, तो माहौल एक बार फिर गरमा गया। जैसे ही लोगों को आरोपी के गंवा होने की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग फिर से जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अलथान और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी काफी बढ़ा दी गई है, जिससे इलाके में हालात तब विगड़ गए जब कुछ लोगों ने पुलिस पर चपलें और पत्थर फेंकना

शुरू कर दिया। स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर होने लगी और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जिसमें एक पुलिस वैन को लात मारने की घटना भी सामने आई। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे थाने ले जाया गया। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल अलथान और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी काफी बढ़ा दी गई है, जिससे इलाके में हालात तब विगड़ गए जब कुछ लोगों ने पुलिस पर चपलें और पत्थर फेंकना

अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी कहा गया है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर लोगों का आक्रोश यह दर्शाता है कि वे ऐसी घटनाओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, वहीं दूसरी ओर भीड़ हंगामा और कानून को अपने हाथ में लेना एक अलग चिंता को

विषय बन गया है। प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है—एक ओर पीड़ित को न्याय दिलाना और दूसरी ओर कानून-व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर, सूरत के अलथान में हुई यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक चुनौती का भी उदाहरण बन गई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं।

